संख्या-349 /2025/41-1-2025-सी0एन0**-1914609/2025**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने संबंधी परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विभिन्न पत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजनाओंहेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किवित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में निम्नवत सारिणी के अनुसार कुल रू0 2.75 लाख (रूपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृतिश्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत प्रस्तावक द्वारा भी प्रथम किश्त के समान ही धनराशि साथ में देय होगी :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कम्प्यूटर सं0	महानिदेशक का पत्र संख्या एवं दिनांक	कार्य का नाम	प्रस्तावक का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	सहभागिता के अन्तर्गत प्रस्तावक द्वारा साथ में दी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1912982	सं/0मु 0यो0स0वि0प0 /सीएन-2023/102282 दिनांक 19.03.2025	जनपद वाराणसी के विभिन्न घाटों 0पी0आर) 1-घाट, अस्सी घाट1-, शिवाला घाट1-, केदारघाट1-, पंच गंगाघाट 1-एवं राजघाट-पर पर्यटकों के (2 07 सुविधार्थजेट्टी चेन्जिंग रूम के निर्माण कार्य हेतु	वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0	उ 0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेश 0न लि	500.00)जीएसटी सहित(	0.25	0.25
2	1913303	सं /130476-0 मु	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव	डाविमलेश 0 पासवान, मा0	यू 0एस0पी0	49.78)जीएसटी	0.25	0.25

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		0यो0स0वि0प0 53/ सीएन/गोरखपुर - 2024/21699 दिनांक 19.03.2025	ग्राम मझगांव, गगहा में स्थित जय मॉ करवल देई पखल का पर्यटन विकास कार्य हेतु	विधायक, -327 बांसगांव, गोरखपुर	सी0डी0टी 0	सहित(		
3	1913309	सं /130476-0 मु 0यो0स0वि0प0 -53/गोरखपुर / -सीएन 2024/21699, दिनांक 19.03.2025	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवा विकास खण्ड पाली में स्थित भूलेश्वरनाथ मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	श्री प्रदीप शुक्ला, मा 0 विधायक, 324, सहजनवा सभा, गोरखपुर	यू 0एस0पी0 सी0डी0टी 0	49.78)जीएसटी सहित(	0.25	0.25
4	1913297	सं /130476-0 मु 0यो0स0वि0प0 -53/गोरखपुर / -सीएन 2024/21699, दिनांक 19.03.2025	जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा अकोलही विकास खण्ड खेराबार स्थित प्राचीन शिव मंदिर स्थल का (न स्थापोछीया ब्रम्ह) विकास कार्य हेतु पर्यटन	श्री विपिन सिंह, मा 0 विधायक, 23 गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर	यू 0एस0पी0 सी0डी0टी 0	49.94)जीएसटी सहित	0.25	0.25
5	1913318	सं /-0 मु 0वि0प0 -53/0यो0स गोरखपुर / -सीएन 2024/21699, दिनांक 19.03.2025	जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्रतहसील / चौरा-चौरी, ग्राम नदुआज्ञानपार, ब्लॉक ब्रम्हपुर में स्थित प्राचीन काली माता जी मंदिर का र्पटन विकास कार्य हेतु	श्री सरवन कुमार निषाद, मा 0 विधायक, -326चौरी चौरा, गोरखपुर	यू 0एस0पी0 सी0डी0टी 0	49.98 जीएसटी) सहित	0.25	0.25
6	1913580	सं /-0 मु 0वि0प0 -53/0यो0स गोरखपुर / -सीएन 2024/21699, दिनांक 19.03.2025	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के समय स्थान मंदिर तहसील गोला गोरखपुर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	श्री राजेश त्रिपाठी, मा 0 विधायक, -328 चिल्लूपार, गोरखपुर	यू 0एस0पी0 सी0डी0टी 0	49.61)जीएसटी सहित(	0.25	0.25
7	1913568	सं /130476-0 मु 0यो0स0वि0प0 -53/गोरखपुर / -सीएन 2024/21699, दिनांक 19.03.2025	जनपद गोरखपुर के ग्राम नूरूदीनचक ब्लाक भरोहिया तहसील कैम्पियरगंज में स्थित श्री झारखंडी महादेव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	श्री फतेह बहादुर सिंह, मा 0 विधायक, कैम्पियरगंज, गोरखपुर	यू 0एस0पी0 सी0डी0टी 0	49.08)जीएसटी सहि	0.25	0.25
8	1913582	सं /130476-0 2025 यो0स0वि0प0मु -53/0 गोरखपुर / -सीएन 2024/21699, दिनांक 19.03.2025	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी महादेवा शिव मंदिर मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	श्री श्रीराम चौहान, सभापति , अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों	यू 0एस0पी0 सी0डी0टी 0	49.85)जीएसटी सहित(	0.25	0.25

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				सम्बन्धी संयुक्त समिति				
9	1913984	सं/0मु 0यो0स0वि0प0 /सीएन-2025/248620 दिनांक 26.03.2025	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर जौनपुर के कुत्तुपुर चौराहे पर माँ दुर्गा मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा राज्य 0 तंत्र स्व) मंत्री खेल (प्रभार एवं युवा ण कल्या विभाग, उ 0प्र0 सरकार	उ 0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेश 0न लि	49.56)जीएसटी सहित	0.25	0.25
10	1913981	सं/0मु 0यो0स0वि0प0 /जौनपुर सीएन/ 2025/248666 दिनांक 26.03.2025	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा मानीकला में काली मॉ मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा राज्य 0 तंत्र स्व) मंत्री खेल (प्रभार एवं युवा ण कल्या विभाग, उ 0प्र0 सरकार	उ 0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेश न लि0	49.97)जीएसटी सहित(	0.25	0.25
11	1913874	सं/0मु 0यो0स0वि0प0 /जौनपुर सीएन/ 2025/248722 दिनांक 26.03.2025	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के मनेच्छा में मंदिर का अवस्थापना कार्य हेतु	श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा राज्य 0 तंत्रस्व) मंत्री प्रभारखेल (एवं युवा ण कल्या विभाग, उ 0प्र0 सरकार	उ 0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेश 0न लि	49.81)जीएसटी सहित(	0.25	0.25
कुल धनराशि (रूपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)							**2.75**	**2.75**

3- प्रायोजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रस्तर-2 की सारिणी के क्रम सं0-1 के कालम-4 में नामित कार्यदायी संस्था की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा स्वीकृति संबंधितजिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(12) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(20) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से संबंधित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(22) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

(24) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,75,000 (रूपये दो लाख पचहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 सभापति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार।
6. डा0 विमलेश पासवान, मा0 विधायक, 327-बांसगांव, गोरखपुर।
7. श्री प्रदीप शुक्ला, मा0 विधायक, 324, सहजनवा सभा, गोरखपुर।
8. श्री राजेश त्रिपाठी, मा0 विधायक, 328-चिल्लूपार, गोरखपुर।
9. श्री विपिन सिंह, मा0 विधायक, 23 गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10 श्री सरवन कुमार निषाद, मा0 विधायक, 326-चौरी चौरा, गोरखपुर ।
11 श्री फतेह बहादुर सिंह, मा0 विधायक, कैम्पियरगंज, गोरखपुर।
12प्रबन्धक, वाराणसी स्मार्ट सिटी लि0, वाराणसी।
13जिलाधिकारी, वाराणसी**,** गोरखपुर**,** जौनपुर।
14 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
15 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ ।
16 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
17 वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
18 निदेशक**,** उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)**।
19 उप निदेशक**,** पर्यटन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
20उप निदेशक(प्रशासन)**,** पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4 से 13 एवं क्रमांक-15 से 19को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
21 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
22 गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।